



भारतीय स्टेट बैंक प्रॉक्सी फार्म

फोलियो क्र.: _____

डी.पी./ग्राहक आई. डी. क्र. _____

मैं / हम, _____

_____ निवासी _____

बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज भारतीय स्टेट बैंक के _____

शेयर / शेयरों का धारक हूँ / शेयरों के धारक हूँ और एतद्वारा _____

_____ निवासी _____ को (या उसकी

अनुपस्थिति में _____ निवासी _____ को)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की _____ में दिनांक _____

को, और उसके किसी स्थगन के बाद होने वाली सभा में मेरे / हमारे लिए और मेरी / हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं।

दिनांकित _____ के _____ दिवस को

15
पैसे
रसीदी
टिकट

यदि प्रॉक्सी का लिखत एकल शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत उसके मुख्तार (अटर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो अथवा संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसके मुख्तार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न हो अथवा किसी कंपनी के मामले में उसकी सामान्य सील के अंतर्गत निष्पादित न किया गया हो अथवा लिखित रूप में यथाविधि प्राधिकृत मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित न हो, तो वह वैध नहीं होगा।

यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारणवश अपना नाम न लिख सकता हो, तथा यदि उस पर (प्रॉक्सी पत्र) उसका कोई चिह्न है जिसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ द पीस, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस ने अथवा किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय स्टेट बैंक के किसी अधिकारी ने अधिप्रमाणित किया हो, तो प्रॉक्सी का वह लिखत यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित माना जाएगा।

यदि प्रॉक्सी कंपनी द्वारा नियुक्त न हो, तो वह भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड का निदेशक / स्थानीय बोर्ड का सदस्य/भारतीय स्टेट बैंक का ऐसा शेयरधारक होना चाहिए, जो भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी न हो।

यदि प्रॉक्सी पत्र यथाविधि स्टांपित न हो और उसे मुख्यतारनामे या अन्य प्राधिकार पत्र (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा किसी नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित उस अधिकार पत्र अथवा प्राधिकार पत्र की एक प्रति, केन्द्रीय कार्यालय में या इसके स्थान पर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर नामित अन्य कार्यालय में सभा के लिए नियत तिथि के स्पष्टतः 7 दिन पूर्व जमा न किया जाए, तो वह (प्रॉक्सी पत्र) वैध नहीं होगा। (यदि मुख्तारनामा पहले से बैंक के पास पंजीकृत है, तो मुख्तारनामा या अन्य मुख्तारनामे के फोलियो क्रमांक और पंजीकरण क्रमांक का भी उल्लेख किया जाए)।

प्रॉक्सी फार्म मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार पत्र स्वीकार करने के लिए निम्नांकित को प्राधिकृत किया गया है :

- (क) शेयर एवं बाण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, तीसरी मंजिल, वर्मा चैम्बर्स, 11-होमजी पथ, हार्निमन सर्कल, फोर्ट, मुंबई - 400 001.
- (ख) मेसर्स डाटामैटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, यूनिट: भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट ए-16 एवं 17, पार्ट-बी, क्रॉस लेन, एम. आइ. डी. सी., अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093.

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने, वार्षिक महासभा के दौरान शेयरधारकों के लिए उपहार वितरण की व्यवस्था समाप्त कर दी है।





STATE BANK OF INDIA

PROXY FORM

Folio No.: _____

DP/Client-ID No. _____

I/We _____

resident of _____ being(a) shareholder(s) of the State Bank of India holding (No.) _____ shares on the Register of shareholders at the Central Office of the Bank do hereby appoint _____ resident of _____ (or failing him/her _____ resident of _____) as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at a meeting of the shareholders of the State Bank of India to be held at _____ on the _____ day of _____ and at any adjournment thereof.

Dated this _____ day of _____

15 paise
Revenue
Stamp

No instrument of proxy shall be valid unless in the case of an individual shareholder it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholders first named in the Register or his attorney duly authorised in writing, or in the case of a Company it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Justice of the Peace, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Government Gazetted Officer or an Officer of the State Bank of India.

A proxy, unless appointed by a Company, should be a Director of the Central Board/Member of the Local Board/Shareholder of the State Bank of India, other than an officer or employee of the State Bank of India.

No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and unless it, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of that power of attorney or authority certified by a Notary Public or a Magistrate, is deposited with the Central Office or other office designated from time to time by the Chairman or Managing Director in this behalf, not less than 7 clear days before the date fixed for the meeting. (In case a power of attorney is already registered with the Bank, the Folio No. and Registration No. of the power of attorney be also mentioned).

The following are authorised to accept the proxy form, power of attorney or other authority:

- (a) Shares & Bonds Dept., State Bank of India, Central Office, 3rd Floor, Varma Chambers, 11-Homji Street, Horniman Circle, Fort, Mumbai - 400 001.
- (b) M/s Datamatics Financial Services Limited, Unit: State Bank of India, Plot A-16 & 17, Part B, Cross Lane, MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400 093.

Shareholders are advised that in keeping with the Government of India guidelines, the Bank has discontinued the practice of distribution of gifts to shareholders during the Annual General Meetings.

